

अमेरिका को अंगूठा दिखाकर भारत पुतिन के स्वागत में लगा हुआ है

वर्तमान परिस्थितियों में भारत-रूस
आलिंगन दोनों देशों के लिए सुख की अनुभूति है, क्योंकि
दोनों देशों को अमेरिका ने काफी घायल किया है

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के आगमन का भारत जश्न मना रहा है, जबकि यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन वैश्विक मंच पर लगभग 'अलग-थलग' पड़े हुए हैं। यह स्वागत कुछ हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को चुनौती देने के लिए बड़ी शान-ओ-शौकत से किया जा रहा है।

फिलहाल भारत-रूस की नज़दीकियाँ दोनों देशों के लिए सुविधाजनक हैं। भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार और टैरिफ के मसले पर कड़ा झटका लगा है। ट्रम्प ने अमेरिकी बाज़ार में आने वाले भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया, जिससे भारत के अधिकतर

- भारत के सामान पर ट्रंप की मनमर्जी से 50 प्रतिशत टैरिफ लगा हुआ है तथा रूस को आर्थिक व व्यावसायिक प्रतिबंध लगाकर अकेला तथा अलग-थलग पटकने का प्रयास किया है, पश्चिमी देशों ने। पर, भारत में भारी स्वागत से रूस को यह दिखाने का मौका मिल गया है कि पश्चिमी देशों का यह प्रयास पूर्णतया सफल नहीं है।
- पर, भारत-रूस के आलिंगन की गर्मी भारत की सामरिक दुर्बलता को छुपा नहीं पा रही। भारत, रूस पर पूरी तरह निर्भर सा हो गया है, रूस से हथियार की सप्लाई पर।
- पर, अगर भारत-चीन के बीच सीमा पर मतभेद व कहासुनी की घटना गंभीर हो गई और सामरिक युद्ध में परिवर्तित हो गई तो क्या रूस इन हथियारों की अनवरत सप्लाई जारी रख सकेगा?

निर्यात अमेरिकी बाज़ार में मुकाबले के लायक नहीं रहे। इसलिए भारत रूस के साथ अपने “विशेष रिस्ते” को एक कूटनीतिक ताकत (डिप्लोमैटिक एसेट) की तरह दिखाना चाहता है। दूसरी ओर, रूस पश्चिमी देशों से अलग-थलग होने के कारण यह दिखाना चाहता है कि उसकी भारत के साथ मजबूत साझेदारी इस बात का साफ सबूत है कि पश्चिमी देश रूस को डिप्लोमैटिक रुप से अलग-थलग करने में नाकाम रहे हैं। तथापि, इस दोस्ती के पूरे प्रदर्शन और खास दोस्ती की बातें भारत की स्थिति की कई कमजोरियों को छुपाती हैं। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूसी हथियारों और सैन्य प्रणालियों पर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान आशंकित पुतिन की भारत यात्रा से

उसका मानना है कि यह यात्रा केवल “डिप्लोमैटिक” औपचारिकता नहीं है, यह संकेत है, पुतिन की ओर से कि रूस को भारत की सैनिक क्षमताओं को और मजबूत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसंबर। पाकिस्तान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को गहरी चिंता के साथ देख रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि यह दौर क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को भारत के पक्ष में और झुका सकता है। इस्लामाबाद के लिए भारत-रूस के बीच गहरे रक्षा सहयोग की उम्मीद, खासतौर पर इस साल की शुरुआत में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी सिस्टम की प्रभावी भूमिका की रिपोर्टों के बाद बहुत परेशान करने वाली है। भारत द्वारा अतिरिक्त एस-400 सिस्टम लेना, उन्नत एस-500 प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना, या पांचवीं पीढ़ी के सू-57 जैसे लड़ाकू विमानों पर

- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, रूस की एस-400 यूनिट की सफलता बड़ी उल्लेखनीय थी। अतः पाकिस्तान चिंतित है कि भारत और एडवांस्ड एस-500 यूनिट्स प्राप्त करने में सफल न हो जाए तथा आपसी बातचीत में रूस से फिफ्थ-जनरेशन सू-57 लड़ाकू विमान लेने के बारे में कुछ सहमति प्राप्त न कर ले।

बातचीत शुरू करना, ये सभी संभावनाएँ पाकिस्तान की उस चिंता को बढ़ाती हैं कि उसकी पहले से कमजोर होती डिफेंस केपबिलिटी और भी कमजोर हो सकती है। पाकिस्तान की नजर में यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मॉस्को भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए और ज्यादा तैयार है, ऐसे समय में जबकि, पाकिस्तान के अपने

रणनीतिक विकल्प तेजी से घट रहे हैं। इस माहौल में, ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका पुतिन की भारत यात्रा को चिंता और मजबूरी के मिले-जुले भाव से देख रहा है। वॉशिंगटन को भारत-रूस रक्षा रिश्तों में किसी नई तेजी से असहजता है, खासकर अगर एस-400 कार्यक्रम का विस्तार होता है या भारत अगली पीढ़ी की रूसी तकनीक (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती 2021 में एसओजी ने एक और गिरफ्तारी की

जयपुर, 4 दिसम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान की बहुचर्चित उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक कांड में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए उस अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जिसने लीक हुए सॉल्व्ड पेपर को पढ़कर परीक्षा में बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि

- आरोपी ने आठ लाख रूपए में सॉल्व्ड पेपर खरीदे थे।

उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रकरण के जांच दौरान महेन्द्र कुमार चौधरी (34) निवासी सामोद जयपुर ग्रामीण की संलिप्तता सामने आई। जांच में पता चला कि चौधरी ने पेपर लीक के सरगना विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेबाड से 8 लाख में सीदा किया और उसने 14 सितम्बर 2021 को परीक्षा से पूर्व दोनों पारियों के हल किए गए पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

भारत में आज से लाँच होगा, “रशिया टुडे” नैटवर्क

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की आज से शुरू हुई दो दिन की भारत यात्रा का एक दिलचस्प पहलू यह है कि शुक्रवार को वे “रशिया टुडे” वैश्विक नेटवर्क के भारतीय संस्करण “आरटी इंडिया” का

- रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस के वैश्विक समाचार नैटवर्क, रशिया टुडे के भारतीय संस्करण “आर टी इंडिया” का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में अस्थायी स्टूडियो बनाया गया है।

शुभारंभ करेंगे, जिसमें सौ सदस्यीय स्टाफ होगा। नई दिल्ली के एक पाँच सितारा होटल में एक अत्याधुनिक, लेकिन अस्थायी, स्टूडियो तैयार किया जा चुका है। “आरटी इंडिया” चार दैनिक समाचार कार्यक्रम प्रसारित करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य है: “भारत (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

दस सालों से अटकी पनडुब्बी डील भी फाइनल हुई पुतिन के आने से पहले

भारत को 2 अरब डॉलर में दस साल की लीज़ पर एक न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी देगा रूस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। भारत, रूस से एक न्यूक्लियर-पावर्ड पनडुब्बी को लीज़ पर लेने के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगा, एक दशक से अधिक चली बातचीत के बाद आखिरकार पुतिन के नई दिल्ली आने के समय यह डील हुई है। हालाँकि, यह पनडुब्बी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए होगी और इसका इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया जा सकेगा।

रूस से हमलावर पनडुब्बी लीज़ पर लेने की बातचीत कई सालों तक मूल्य पर अटकी रही थी। पहचान उजागर करने से इन्कार करने वाले लोगों ने बताया कि अब दोनों पक्षों में इस समझौते पर सहमति बन गई है। नवंबर में भारतीय अधिकारियों ने रूस के एक शिपयार्ड का दौरा किया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को

- लीज़ की शर्तों के अनुसार, युद्ध के लिए बनी इस पनडुब्बी का उपयोग भारत सिर्फ प्रशिक्षण के लिए ही कर सकेगा और इसकी मदद से अपने न्यूक्लियर बोट संचालन को और बेहतर बना सकेगा।
- भारत ने इससे पहले भी रूस से बोट दस साल की लीज़ पर ली थी, जिसे 2024 में लौटा दिया गया था।

पनडुब्बी अगले दो वर्षों में मिल जाएगी, हालाँकि परियोजना की जटिलता के कारण यह समय सीमा कुछ अधिक भी हो सकती है। पुतिन गुरुवार को भारत आ रहे हैं, वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा होगा। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

हाल के महीनों में मोदी ने रूस और

चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है, खासकर तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के सामान पर 50 प्रतिशत की उच्च टैरिफ दरें लगा दी थीं। मोदी सरकार वर्तमान में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है, ताकि इन शुल्कों को कम किया जा सके। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के खिलाफ भारत पर दबाव बनाने के हिस्से के रूप में यह टैरिफ लगाया था, ताकि वह पुतिन से यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए

न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियाँ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। वे सामान्यतः बड़ी (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

दबाव बना सके। पुतिन की यात्रा से पहले, भारत के नौसेना प्रमुख डॉ. दिनेश के त्रिपाठी ने इस सप्ताह संबाददाताओं से कहा कि हमलावर पनडुब्बी की कमीशनिंग जल्द ही होने की उम्मीद है, हालाँकि उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना के बेड़े में पहले से मौजूद दो पनडुब्बियों से बड़ी होगी। भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए भेजे गए ईमेलों का जवाब नहीं दिया। रूस के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत ने न्यूक्लियर-कैपेबल पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किए हैं, जो सिद्धांत रूप में उसे परमाणु हथियारों का “त्रिकोण” (जमीन, सागर और हवा) प्रदान करते हैं, जैसा कि न्यूक्लियर श्रेट इनिशिएटिव (एनटीआई) की रिपोर्ट में बताया गया है।

न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियाँ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। वे सामान्यतः बड़ी (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी ने ईडी को पासपोर्ट सरेंडर किया

जयपुर, 4 दिसंबर। जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से शर्त जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने

- सुप्रीम कोर्ट ने जोशी की जमानत पर यह शर्त लगाई थी।
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई शर्त की पालना में ईडी कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। अदालत ने प्रकरण में 16 दिसंबर को सुनवाई रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए महेश जोशी को शर्त जमानत देते हुए कहा था कि वे ईडी कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करें और बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाए।

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

जन आन्दोलन को नया रूप देना होगा

‘भारत छोड़ो’ अथवा अगस्त क्रान्ति का आन्दोलन गांधीजी के नेतृत्व में था। गांधी ने हमें आन्दोलन करना सिखाया, सत्याग्रह का सार समझाया, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया और देश की समग्र जनता उनकी हो ली, क्योंकि सत्य उनके साथ था, अहिंसा उनका शस्त्र था और उस समय की गंगा की तरह उनका चरित्र था। ‘भारत छोड़ो’ अंग्रेजों ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन को उसी समय सफलता मिली थी जब वह जनता का आन्दोलन बना। दिनांक 8 अप्रेल, 1९42 तक देश के सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के नेता गिरफ्तार हो चुके थे और आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया था और सही अर्थों में वही आन्दोलन जनताका सफल आन्दोलन बन गया और देश आजाद हो गया हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

दिल्ली गैंगरेप को दुःखद घटना से उपजा जन आक्रोश जनता का आन्दोलन बन गया। वह आन्दोलन राजनेताओं के नेतृत्व से विहीन था, यही थी उसकी सफलता। केजीरवाल इस आधार पर अपना स्थान बना पाये कि वे ‘आम आदमी’ की टोपी सर पर रखकर आये थे। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां भी आन्दोलन हुआ वह जनताका आन्दोलन था। दिल्ली में फास्ट ट्रेक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना हुई, जब देश भर में बलात्कार की घटनायें हो रही थीं। जनता ने आवाज उठाई, समूचे देश में ही फास्ट ट्रेक कोर्ट क्यों न हो? कोर्ट खोली गई।

जनता का आक्रोश जब सहन करने की सीमा पार कर लेता है तो जनता का गुस्सा फूट पड़ता है।

वर्तमान में जनता का आक्रोश सरकार के विरूद्ध भी है और न्याय व्यवस्था के विरूद्ध भी। दोनों में अन्तर है। राजनेता के प्रति विश्वास खण्डित हो चुका है; किन्तु न्यायालय में विश्वास अभी जीवित है।

विश्वास में सुधार संभव है, किन्तु वह केवल न्याय व्यवस्था में सुधार द्वारा ही हो सकता है। कानून की पालना निष्ठा के साथ हो। जहां कानून बनाने वाले व्यक्ति समझदार हों, शिक्षित हों, सद्चरित्र हों, जिन्हें अपने उन कर्त्तव्यों की जानकारी हो, जिनका उल्लोख संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। जिनका विश्वास, समता, समरसता व समानता में हो, जिनमें देश हित प्रधान हो, न कि पार्टी, धर्म व जाति विशेष का हो। देश अपना है इसे मिल जुलकर जनता का कल्याणकारी राज्य बनाना है, ऐसा राज्य जिसकी कल्पना संविधान के भाग-4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में की गई है और जहां मूल अधिकारों के साथ उनका संतुलन हो।

समय की पुकार है लोकतंत्र में जो व्यक्ति नागरिक के कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता है उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार, सद्चरित्रवान हो, दागी नहीं होना चाहिये, जातिवाद व धर्म के नाम पर मतदान नहीं होना चाहिये। चुनाव में महिला व युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिये। चुनाव में व्यक्ति कितनी बार खड़ा हो इसकी संख्या तय होनी चाहिये। जो पिछड़ा नहीं रहा, उसके स्थान पर अति पिछड़े रहे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना सामाजिक न्याय है, इसकी पालना होनी चाहिये। संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है, जिसे अनुच्छेद 51 क (क) में स्पष्ट कहा गया है। किसी व्यक्ति को चोर कहना भी मानहानि का अपराध हो सकता है। वाक् स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक गरिमामय अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत नागरिक को प्राप्त है किन्तु वह अक्षुण्ण नहीं है इसे भी अनुच्छेद 19(2) में सीमित किया है; क्योंकि अनियमित स्वतंत्रता या प्रेस की निरंकुश स्वतंत्रता पब्लिक आर्डर के लिये कभी भी संकट पैदा कर सकती है।

कंग्रेस सरकार ने आरटीआई लाकर देश में वाही वाही हासिल की थी। पार्टी ने पैरवी की थी कि वे अविध्यहित की स्वतंत्रता को मूर्तरूप दे रही हैं। देश की सभी राज्य सरकारें की सभी योजनायें उनके आदर्श टिप्पणियां और कार्य के तुरले खुली किताब की तरह होंगे, वे जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। यही धारणा आरटीआई कानून की आधार शिला बनी थी।

देश के प्रसिद्ध जूरिस्ट व यशस्वी न्यायाधीश बी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक पत्र, जो उन्होंने दिनांक 26.12.1989 को उस समय के प्रधानमंत्री को लिखा था कि सूचना का अधिकार और सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिये।

हमारा संविधान यह अधिकार देता है। कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसेवक की जनवादी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिये। राजस्थान में आरटीआई आन्दोलन को जनवादी आन्दोलन बनाने का श्रेय यशस्वी सामाजिक कार्यकर्ता एवं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरूणा राॅय को जाता है, उन्होंने यह जानकार आन्दोलन राजस्थान के व्यावर शहर से 1996 से प्रारम्भ किया था और राज्य के 33 जिलों में यात्रा निकाली थी। राजस्थान राज्य सम्भव: प्रथम राज्य था जहां राज्य ने सूचना के अधिकार को कानूनी जामा पहिनाया। केन्द्र का आरटीआई कानून, 2005 में बना। आरटीआई 31 धाराओं से बना कानून है। नागरिक को प्रत्येक पब्लिक ऑथोरिटी से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वह सरकारी पत्रावली को देख सकता है, उनसे नोट ले सकता है। नकल की प्रमाणिक प्रतिलिपि कुछ दस्तावेजों के अपवाद के साथ प्राप्त कर सकता है। इसी कानून के तहत चुनाव आयोग ने अपेक्षा की कि प्रत्येक मतदाता को अधिकार प्राप्त है कि जो व्यक्ति उसके हेतु कानून बनाने जा रहा है, उसका चरित्र कैसा है क्या वह दागी है, तो किन-2 मुसदमों में और उसकी योग्यता क्या है?

आज जनता अपने इस अधिकार से भलीभांति परिचित है, उसका परिणाम है प्रशासनिक क्षेत्र के मामलों में घोटाले उजागर हो रहे हैं। घोटाले करने वालों को चाहे वह बड़ा नेता हो व्यापारी हो या मंत्री उसे भी जेल जाना पड़ा है। जनका के लिये सूचना का अधिकार जनतंत्र की बड़ी जीत है।

पुन: इसी प्रकार का एक अन्य कानून ‘जवाब देही कानून पास करो’ का जन आन्दोलन अरूणा राॅय ने व्यावर से ही प्रारम्भ किया है। व्यावर से पदयात्रा प्रारम्भ हुई है और 26 नवम्बर को वह जयपुर में समाप्त हुई है। इस जन आन्दोलन में मांग की गई है कि राजस्थान जवाब देही विधेयक शीघ्र पारित हो, सुनवाई का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो आदि। अरूणा राॅय ने कहा कि यह कानून केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का माध्यम नहीं है अपितु नागरिकों के अधिकारों को सशक्त करने का हथियार है। आशा है, राज्य के प्रतिश्रीति व राज्य के विकास को गति देने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस कानून की परीक्षा कर इसे जनहित में पारित कर लागू करेंगे।

संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस की अन्य सहयोगी पार्टियों ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कार्यवाही जो बिहार के चुनाव पर की गई वह केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण थी, वह जन आन्दोलन नहीं था। फलस्वरूप जनता ने उनके आन्दोलन को व आरोपों को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी केवल एक डिजीट तक की उन्ते प्राप्त कर सकी।

आरटीआई अधिनियम व जवाब देही कानून एक दूसरे के पूरक है। आप इनके माध्यम से अपने अधिकारों को समझ सकेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार कर गरिमा मय जीवन की कला को सीख पायेंगे। साख्तों ने इसी सन्दर्भ में कहा है, ‘आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:.’ अर्थात् ज्ञान का प्रकाश सब ओर से आने दो।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन,

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राम निवास बैरवा

“.....संविधान अच्छा है। या बुरा, यह उसको लागू करने वालों पर निर्भर करेगा। एक अच्छा संविधान बुरे हाथों से गलत परिणाम देगा और अच्छे हाथों से एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है।”

कुछ इसी तरह के विचार डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में व्यक्त किए थे।

संविधान अपने आप को लागू करने वालों को सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, लेकिन वे संविधान को लागू करने में अच्छे साबित होते है या बुरे, यह जांच-पड़ताल का विषय है जो स्वयं

संविधान में लिखे मूल अधिकारों और राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांतों की कसौटी पर ही परखे जा सकते हैं, किसी कानून या सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा से नहीं, क्योंकि कानून स्वयं संकवधान को लागू करने वालों के द्वारा बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा कानूनो से बंधी होती है।

दिनांक 22 जुलाई, 2025 के ‘राष्ट्रदूत’ में मेरा एक लेख ‘मतदाता सूची; 1952- नाम जोड़ो, 2025 नाम काटो (52-25); “संदर्भ बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। उसी से उत्साहित होकर 12 अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू किया गया है, जिसे दस दिसम्बर, 2025 तक पूरा करना है। इस दौरान कितने बी.एल.ओ. किस-किस वजह से मरे, यह बात अलग है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों ने SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले दाखिल किये हैं, लेकिन, 26.11.2025 को भवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई टिप्पणी की कि, “चुनाव आयोग को संविधान और कानूनी दृष्टि

से मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करवाने का अधिकार है।”

संविधान सरकार को भी बहुत कुछ करने के लिए अधिकृत करता है तो उसके अधीन निर्मित संवैधानिक संस्थानों को भी बहुत कुछ अधिकार देता है। यदि सत्ताधारी लोगों और पार्टियों को कुछ स्वेच्छानुसार सही नहीं लगता है तो उसके कानून बनाकर उन्हें मनमाफिक बना देता है।

चुनाव आयोग, इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के इरादो का प्रबंधक सा बना नजर आता है, जिससे किये गये किसी प्रश्न का उत्तर चुनाव आयुक्त नहीं देकर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के विधिन प्रवक्ता देते हैं और वे चुनाव आयोग का बचाव करते है।

2002 की मतदाता सूची को आधार मानकर मतदाता सूचियों का व्यापक विशेष पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार हो सकता है लेकिन चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 2002 में ऐसा ही पुनरीक्षण किया गया था उसी सूची का पुनरीक्षण करके क्या हासिल किया जा रहा है! जबकि वह 23 वर्ष पुरानी हो चुकी है।

इन 23 वर्षों के दौरान कितने नये नाम जुड़े हैं, उनका क्या होगा?

अशिक्षित, अप्रशिक्षित, प्रवासी व्यक्ति निश्चय ही उस स्थान पर नहीं मिलेंगे जहां उनका नाम है, परन्तु मतदान के लिए वे वहां आने के भरसक प्रयास करते हैं। साथ में उनका परिवार भी होता है।

इसी में छिपा है चुनावों के लड़्डू जिन्हें खाने को लालयित है सत्ताधारी पार्टी।

सत्ताधारी पार्टी के व्यवहारिक चरित्र का आंकलन सरकारी ताम-झाम के आचार-व्यवहार में दिखाई देता है। 1861 के पुलिक कानून की धारा 3 के अनुसार सारी पुलिस सरकार की नौकर है, वह संविधान या जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं है। उसी प्रकार आई.ए.एस. अधिकारी भी सरकार के नौकर हैं, संविधान के नहीं। उन्हें संविधान तब ही याद आता है।

जब उनकी सेवायें खतरे में पड़ती है और अनुच्छेद 311 की शरण लेते हैं। चुनाव आयुक्त अपनी जगह अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ डंटा है जो कि कोई आई.ए.एस. अफसर ही है।

लेकिन, जिला कलेक्टर लोग जो कि

जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उन्हें ही मतदाताओं के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए, इसके विपरीत वे सरकार की इच्छाओं, उनकी योजनाओं को लागू करने का बीड़ा उठाये हैं.... यस स!

कितने नाम काटे जायेंगे, किन लोगों के काटे जायेंगे, यह चुनाव परिणामों से साफ समझा जा सकता है।

इस पुनरीक्षण का यह भी परिणाम होगा कि 23 वर्षों के दौरान जोड़ें गये नामों में से ज्यादातर 2014 के बाद में जोड़े गये हैं, जिनसे ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि उनके पास मांगे जा रहे दस्तावजे होंगे। जिनके पास नहीं होंगे वे वे ही लोग हैं जो मजदूरी के लिए अन्य प्रांतों में गये हैं, मजदूर हैं, किसान हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में स्वतन्त्र सार्विक मताधिकार को चुनिंदा मताधिकार में बदलने का प्रयास किया जा रहा हो?

डॉ. अम्बेडकर के संविधान सभा में दिये अन्तिम भाषण का यही तात्पर्य है।

– राम निवास बैरवा, पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुशासनहीनता एवं सड़क दुर्घटनाएं



प्रो. कैलाश सोडानी

रोटी, कपड़ा और मकान के पश्चात् हमारी अगली आवश्यकता परिवहन है। घर से बाहर निकलते ही हमें सड़क चाहिये। थोड़ा दूर जाना हो तो वाहन भी चाहिये। आज की दुनिया में सड़क एवं परिवहन मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। कुछ समय पहले तक वाहन रखना विलासिता होती थी। शहरों और गांवों के विस्तार ने कार्य-स्थल की दूरी को बढ़ा दिया, यहीं से वाहन एक जरूरत बन गया। नागरिकों की जरूरत को देखते हुए सरकार तेजी से सड़कों का निर्माण कर रही है। यही कारण है कि भारत में सड़कों का कुल नेटवर्क लगभग 65 लाख किलोमीटर तक पहुँच चुका है, जो दुनिया में दूसरा

सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरी ओर जनता भी वाहन खरीदने में पूरी तरह से उत्साहवर्धक है। देश में 2024 में 43 लाख कारों एवं 1.89 करोड़ों दोपहिया वाहनों की खरीद हुई। जनता की लापरवाही एवं गलती से आश्रीवाद अभिशाप में बदला जा रहा है। अव्यवस्थित ट्राफिक प्रत्येक छोटे-मोटे शहर की आज महत्वपूर्ण समस्या है। केन्द्रीय सडक और परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में देश में 4,80,583 दुर्घटनाएँ हुईं, 1,72,890 लोगों की जान गई। 2022 की तुलना में 4.18 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी तो वाहनों की संख्या बहुत कम है। दुनियाँ के कुल वाहनों में भारत का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का प्रतिशत 11 है। निःसन्देह स्थिति गम्भीर एवं दर्दनाक है। दुनियाँ के मुकाबले इतने कम वाहनों की स्थिति में भी इतनी अधिक सड़क दुर्घटनाएँ चिन्ता एवं चुनौती का विषय है। अभी तो हमारी आर्थिक समृद्धि में होने वाली अभिवृद्धि के साथ वाहनो की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होना है।

भारत में सडक परिवहन ही

की निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने में प्राय: हमें खुशी नहीं होती है। इसका एक कारण यह भी है कि प्राय: वीआईपी अपनी गाड़ी को नॉन-पार्किंग जोन में खड़ी करते हुए प्रतिष्ठा का अनुभव करते हैं फिर यही विचार आम आदमी में भी आता है।

हमारे यहाँ एक मोटर साइकिल पर प्राय: तीन मित्रों के बैठने की परम्परा पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे अपने यहाँ तीन सवारी बैठे बिना मोटर साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती है। थोड़ा सोचो, सरकार इसमें क्या करे? अपने मतदाताओं की खुशी तो नहीं छीन सकती है। अव्यवस्थित ट्राफिक के कारण अनावश्यक बन रहे स्ट्रीड ब्रेकर हमारी गति को धीमी कर रहे हैं और दुर्घटना की वजह भी बन रहे है।

सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण देश में अतिक्रमण के प्रति जबरदस्त लगाव एवं सम्मान भी है। मोहल्ले में सबसे ज्यादा अतिऋमण करने वाला मकान मालिक ही मोहल्ले का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। हमारे देश के दुकानदारों को माल बेचने में ज्यादा माल को सड़क पर सजाने में मजा आता है। यदि दुकानदार के पास सड़क पर सजाने के लिए सामान नहीं है तो होर्डिंग/ बोर्ड

/बैंच लगाकर ही खुश होने का प्रयास करता है। बिजली एवं टेलिफोन के खम्भें भी अतिक्रमण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर है। परिणामस्वरूप दो एवं चार पहिया वाहनों का तेजी से इजाफा हो रहा है। उसी अनुपात से दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही है। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। सड़क दुर्घटना दुर्घटना के मौके के इतने बड़े आंकड़ों के लिये सरकार कम, हम स्वयं ज्यादा जिम्मेदार है। सड़क दुर्घटनाएँ हमारी अनुशासनहीनता का ही दुष्परिणाम है। एयरपोर्ट की भाँति सड़क पर भी अनुशासन चाहिये। जान जोखिम में डालकर यात्रा करना कौनसी समझदारी है? मेरा मानना है कि नियमों की अवहेलना की स्थिति में निर्धारित आर्थिक दण्ड को कई गुणा बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। भाषण से नहीं, आर्थिक दण्ड से ही मानसिकता ठीक होगी। थोड़ा शांति से सोचिये, आखिर ट्राफिक नियमों का पालन करने में हर्ज ही क्या है? बिना देरी किये, आज से ही इस शुभ कार्य को प्रारम्भ कीजिये।

—प्रो. कैलाश सोडानी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दो नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया

सीकर, (निसं)। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को भावत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे राष्ट्र में बाल विवाह को रोकथाम के लिए 100 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। वहीं सीकर जिले में प्रशासन एवं गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयास से दार्दि्या पुलिस थाना क्षेत्र घेाद पंचायत में दो नाबालिग का बाल विवाह रोक कर पूरे प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निदेशन में धेाद पंचायत के गोटड़ा के गांव में 15 वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया। इस दौरान दार्दि्या थाना से हेड कॉन्स्टेबल रामस्वरूप, बीट अधिकारी सरिता तथा जस्ट फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं गायत्री सेवा संस्थान से जिला समन्वयक नरेश कुमार, अभिषेक बगड़िया मौजूद रहे।

2 5 1 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर को डाइट में लगाया

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में सभी शिक्षा अधिकारियों को 12 दिसम्बर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्तर के 251 शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी भी शिक्षा अधिकारी को डाइट से हटाए बौर सभी को लगाया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्यभर से शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था।

■ **विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्यभर से शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था**

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में सभी शिक्षा अधिकारियों को 12 दिसम्बर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षा विभाग ने राज्य की डाइट्स में रिक्त पदों पर ही इन शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। वहीं कुछ जिलों में रिक्त पदों से अधिक लेक्चरर और प्रिंसिपल

को पोस्टिंग दी गई है। इस पोस्टिंग के बाद भी कई पद रिक्त भी रह जाऐंगे।

डाइट में पोस्टिंग से पहले शिक्षा विभाग ने अपने ही विभाग में कार्यरत अधिकारियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद इनका चयन किया गया। चयनित शिक्षा अधिकारियों को ही यहां पोस्टिंग दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने

वाले शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली और कार्य गुणवत्ता के आधार पर चयन हुआ है।

राज्य में डीएलएड कोर्स डाइट में संचालित होते हैं और इन कोर्स को चलाने के लिए एनसीटीई के मानदंडों की पालना करनी होती है। इसी कारण प्रदेशभर के सभी डाइट्स में लेक्चरर लगाए गए हैं ताकि टीचर्स तैयार करने वाले डीएलएड कोर्स की मान्यता पर असर नहीं पड़े। पूर्व में एनसीटीई राज्य के दोनों सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द कर चुका है।

रतनगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला

रतनगढ़, (निसं)। रोडवेज बस स्टैंड पर लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ रोडवेज कमिटी और एजेंटों ने आवाज बुलंद की है। रोडवेज बुकिंग प्रभाी एणवीर सिंह, एजेंट संपत सिंह, गंगा सिंह, गोतावड़ सिंह चारण, राकेश सैनी सहित अन्य कर्मचारियों ने एसडीएम, सीआई, व ईओ को ज्ञापन सौंपकर बस स्टैंड की बिगड़ती व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की।

ज्ञापन में उल्लेख है कि गया वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा जारी

आदेश के अनुसार बस स्टैंड का संचालन एवं प्रबंधन पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य पथपरिवहननिगम को सौंपा गया था। इसके बावजूद नगरपालिका की ओर से बस स्टैंड परिसर का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना निषिद्ध का उल्लंघन है। इस कारण बस स्टैंड पर अनधिकृत वाहनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। न्यायालय के आदेशों का भी नहीं हो रहा पालन रोडवेज विभाग ने अपने पत्र में यह भी बताया कि रतनगढ़ न्यायालय में दायर वाद संख्या 15/2009 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि बस स्टैंड परिसर का उपयोग केवल बस संचालन एवं यात्रियों की सुविधा के लिए ही किया जाए। इसके बावजूद बस स्टैंड में प्राइवेट वाहनों की अनधिकृत पार्किंग लगातार बनी हुई है, जो आदेशों की अवहेलना है। बस स्टैंड परिसर में दुकानदारों द्वारा स्थाई व अस्थायी अतिक्रमण कर रखा गया है। जिसके कारण रोडवेज कोर्स बूथ पर नहीं लग पाती और स्टैंड का संचालन अस्त-व्यस्त हो गया है।इसके अलावा बस

स्टैंड पर प्राइवेट बसों, टैक्सियों और हाथ डेलों का निरंतर जमावड़ा रहता है, जिससे रोडवेज बसों के प्रवेश व निकास में बाधा आती है। अव्यवस्थित भीड़ के चलते बसों को सड़क पर ही रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में भारी परेशानी होती है।कर्मचारियों ने यह भी कहा कि बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ के चलते आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि बसों के बीच से दोपहिया वाहन और

चारपहिया वाहन निकलते समय टक्कर की नौबत आ जाती है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की कि-बस स्टैंड परिसर से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, प्राइवेट बसों व टैक्सियों का प्रवेश नियंत्रित किया जाए, हाथ डेलों और अवैध वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, रोडवेज बसों को उनके निर्धारित बूथ पर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रोडवेज कमिटीयों ने कहा कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो बस स्टैंड की बहाल व्यवस्था और गंभीर रूप ले सकती है।

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लंगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।



पंडित अनिल शर्मा

वृष, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग और कुमार योग सूर्योदय से दिन 11:46 तक है। राजयोग रात्रि 12:56 से सूर्योदय तक है। आज गुरु मिथुन राशि में सायं 5:20 पर प्रवेश करेगा। आज रसिक माधुरी जयन्ती, रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:23 तक, लाभ-अमृत 8:23 से 10:59 तक, शुभ 12:17 से 1:35 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक।**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:04, सूर्यास्त 5:30 तक

राशिफल

शुक्रवार 5 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र दिन 11:46 तक, सिद्धि योग प्रातः 8:08 तक, बालक कर्ण दिन 2:50 तक, चन्द्रमा रात्रि 10:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृष, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज यमघट योग और कुमार योग सूर्योदय से दिन 11:46 तक है। राजयोग रात्रि 12:56 से सूर्योदय तक है। आज गुरु मिथुन राशि में सायं 5:20 पर प्रवेश करेगा। आज रसिक माधुरी जयन्ती, रोहिणी व्रत है।**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 8:23 तक, लाभ-अमृत 8:23 से 10:59 तक, शुभ 12:17 से 1:35 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक।**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:04, सूर्यास्त 5:30 तक

मेघ आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लंगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए परेशानियां अभी यथावत बनी रहेंगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।

वृष मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनाुसार बनने लंगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लंगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क व्यावसायिक कार्यों के संबंध में भागदौड़ रहेगी। नौकरौपशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लंगेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। आज अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

सिंह व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लंगेंगे। नवीन कार्यों का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में आज महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

रीको प्रशासन की प्रत्यक्ष आवंटन योजना से औद्योगिक निवेश को नई गति मिली

“राइजिंग राजस्थान” समिट में 19 नवंबर तक सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए आज से शुरू होगा 7वें चरण में आवंटन

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अब तक इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं एवं सातवां चरण 5 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। रीको प्रशासन ने इस योजना के तहत राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं, जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को भूमि जिसकी कीमत करीब 1877 करोड़ रुपये है, आवंटित की जा चुकी है। इन निवेशकों द्वारा किये गये एमओयू द्वारा लगभग 15 हजार 274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा राज्य के आर्थिक विकास को नई गति

- रीको प्रशासन ने इस योजना के तहत राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को अब तक 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं, जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
- इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को करीब 1877 करोड़ रुपये की भूमि आवंटित की जा चुकी है। जहां पर उद्यमियों द्वारा 15 हजार 274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

मिलेगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलुंद (भीलवाड़ा), कौडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना-

जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि “राइजिंग राजस्थान” के अंतर्गत 19 नवम्बर 2025 तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र

हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी 23 दिसम्बर 2025 को निकाली जायेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट” का आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये, जिससे उद्यमी अपनी इकाइयाँ अल्प समय में ही लगा सकें। इसके

अनुरूप राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च-2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिए एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अद्वैसनिक बलों के मृतक के आश्रित के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं। योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदन होने पर सीधा ही भूखण्ड आवंटन होता है तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है।

9 राज्यों में 10 लाख से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन की तैयारी : मदन राठौड़

‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आमजन के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’

जयपुर। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यूटिलिटी लेड एप्रोगेशन मॉडल के क्रियान्वयन को लेकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से महत्वपूर्ण सवाल लगाए। राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यूएलए मॉडल से देश के गरीब और आम परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राठौड़ के सवाल के जवाब में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने कहा कि यूएलए मॉडल का मुख्य लक्ष्य डिस्कॉम और राज्य-स्तरिय एजेंसियों के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है, ताकि

- ‘आम परिवारों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण कदम है यूएलए मॉडल’

वे अपने घर की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ ले सकें।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार गरीब परिवारों तक मुफ्त सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लागू किए

जा रहे यूटिलिटी लेड एप्रोगेशन (यूएलए) मॉडल को सदन में विशेष रूप से उठाया गया। कार्य को आसान और मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय ने परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पेमेंट रिलीज मैकेनिज्म अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार सत्यापन के तुरंत बाद केंद्रीय वित्तीय सहायता सीधे बैंडर के बैंक खाते में भेजी जाती है। सीएफए (केंद्रीय वित्तीय सहायता) एक ही किस्त में तब जारी होती है, जब रूफटॉप सौर संयंत्र का सफलतापूर्वक स्थापन, परीक्षण और संचालन पूरा हो जाता है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और देरी पर प्रभावी रोक लगाती है और जनता को

शीघ्र लाभ सुनिश्चित करती है जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि यूएलए मॉडल को अभी तक 9 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, केरल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादरा-नगर हवेली-दमन-दीव और तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों में कुल 10 लाख 37 हजार 543 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो भविष्य में लाखों परिवारों को सशक्त बनाने वाला कदम है। यह संकेत है कि आने वाले महीनों में इक्का विस्तार और गति और बढ़ने वाली है।

नेता प्रतिपक्ष भ्रमित न करे, दलित अत्याचारों में आई कमी : मदन दिलावर

जयपुर (कांस)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता प्रतिपक्ष टीका राम जुली के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद है और अपराधों में लगातार कमी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के लोगों को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मदन दिलावर ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के कुल अपराधों में नवम्बर 2023 की तुलना में नवम्बर 2025 में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है और नवम्बर 2024 की तुलना में नवम्बर 2025 में 17 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में अनुसंधान करने के समय में भी काफी कमी आई है और किसी भी प्रकार की अपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है।

आरएएस भर्ती-2023 के भूतपूर्व सैनिक कोटे की मैरिट लिस्ट में संशोधन करें : हाईकोर्ट

जयपुर (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को कहा है कि वह आरएएस भर्ती-2023 में भूतपूर्व सैनिक कोटे की अंतिम मेरिट लिस्ट से अपात्र अभ्यर्थी को हटाकर जरूरी संशोधन करें। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि उन्होंने 2023 की आरएएस भर्ती के भूतपूर्व सैनिक कोटे में एक अभ्यर्थी घेवर राम को अपात्र पाने पर कोर्ट से हटा दिया है। जिस पर अदालत ने कहा कि वे इस कोटे की मेरिट लिस्ट को संशोधित

करें।याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2023 में आरएएस और अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित कर गत 15 अक्टूबर 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। इसमें आरपीएससी ने बिना तथ्यों को देखे ही भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थी का चयन कर दिया। वहीं अब राज्य सरकार उसे नियुक्ति देने का रद्द है। जबकि वह नियम, 1988 के तहत वह अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के तौर पर पेंशन प्राप्त करना और न्यूनतम 20

साल सेना में रहना जरूरी है। इस अभ्यर्थी ने नेवी में कम सेवा की है और स्वेच्छा से ही नौकरी छोड़ी है और उसे पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसलिए भूतपूर्व सैनिक कोटे की लिस्ट को संशोधित किया जाए। जिस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को तथ्य की जांच के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता के दावे को सही बताने पर अदालत ने भूतपूर्व सैनिक कोटे की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है।

एलआईसी की प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच योजना लॉन्च

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने ग्राहकों के लिए दो नई और आकर्षक बीमा योजनाएं शुरू की है। एलआईसी के सीईओ और एमडी आर. दोराइस्वामी ने इन नई योजनाओं, एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस (प्लान 886) और एलआईसी बीमा कवच (प्लान 887) को लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन प्लस प्लान एक नॉन-पर, लिंकड, लाइफ, इंडिविजुअल,

सेविंग्स प्लान है, जो बीमा सुरक्षा के साथ-साथ बचत का भी लाभ प्रदान करता है। इस योजना में जीवन बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त निवेश फंड चुनने, सम एश्योर्ड को बढाने/घटाने और टॉप-अप प्रीमियम जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पॉलिसीधारक 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान के लिए रेगुलर पे या लिमिटेड पे दोनों विकल्प मौजूद हैं। यह 18 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए होगी।

इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना और 50 वर्ष या अधिक आयु वालों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना निर्धारित किया गया है। पॉलिसी अवधि पूरी होने पर, यूनिट फंड वैल्यू (बेस प्रीमियम फंड और टॉप-अप फंड) का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, पॉलिसी अवधि में काटे गए मॉर्टैलिटी चार्जज भी वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार बीमा कवच प्लान

एक नॉन पर, नॉन लिंकड, लाइफ, इंडिविजुअल, थ्योर रिस्क प्लान है। जो पॉलिसी अवधि के दौरान होने वाली असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। यह प्लान भी 18 से 65 वर्ष के लोगों के लिए है। इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए होगा। ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान के लिए सिंगल, लिमिटेड (5,10,15) तथा रेगुलर मोड का विकल्प मिलेगा।

राज्य सरकार लगाएगी 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर

17 से 24 दिसम्बर तक होगा आयोजन, अफसरों ने की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर (कांस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास मंत्री झाबिर सिंह खर्रा के निदेशन में राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 17 से 24 दिसम्बर तक 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 आयोजित किए जाएंगे। इनकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्ठि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में संयुक्त बैठक ली।

बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इच्छालेखनीय है कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी। बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्ठि ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का



नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्ठि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में संयुक्त बैठक ली।

आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिविर का समय

प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित रहेगा, और यदि किसी प्रकरण का कार्य निर्धारित समय तक लंबित रहता है तो शिविर को कार्य पूर्ण होने तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने सभी जैसी की ई सम्पर्क इत्यादि पर आने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिये।

शासन सचिव रवि जैन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि शिविरों के अधिकतम परिणामकारी बनाने हेतु पूर्व-तैयारी से लेकर अंतिम निस्तारण तक सभी व्यवस्थाएँ मजबूत रखें। साथ ही अपने क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को दूर

ग्राम सेवक भर्ती में डमी अभ्यर्थी का मामला उजागर

एस.ओ.जी. ने दस हजार का इनामी दबोचा

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार प्रहार कर रहे जलसाजी के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 के अत्यंत संवेदनशील मामले में डमी अभ्यर्थी बैठकर नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरोपी और दस हजार के इनामी लाडूराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है।



लाडूराम विश्नोई

एडीजी बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला एसओजी को प्राप्त एक परिवार के आधार पर उजागर हुआ। परिवार में आरोप लगाया गया था कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी लाडूराम विश्नोई ने स्वयं परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी बैठकर सरकारी नौकरी हाथिया ली। जांच में ये तथ्य सही पाए जाने पर एसओजी ने तुरंत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य

सामने आया कि मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई ने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए गोपाल विश्नोई नामक व्यक्ति को हायर किया था। डमी अभ्यर्थी गोपाल विश्नोई पुत्र जगदीश विश्नोई निवासी बाडमेर खुद द्वितीय ग्रेड शिक्षक के रूप में जोधपुर में नियुक्त था, जिसे एसओजी ने इस मामले में 19 दिसम्बर 2024 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई अपने घर से फरार था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार का पुरस्कार

- डमी अभ्यर्थी निकला द्वितीय श्रेणी का शिक्षक

घोषित किया गया था। एसओजी की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं और लगातार निगरानी का सहारा लिया। अंतः 1 दिसम्बर को एसओजी ने लाडूराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी लाडूराम निवासी धीरमना जिला बाडमेर का रहने वाला है। एसओजी अब इस भर्ती धोखाधड़ी के पीछे के पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने स्पष्ट किया कि जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन शामिल था, क्या अन्य अभ्यर्थियों ने भी यही तरीका अपनाया और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था। एसओजी ने दोहराया है कि योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में फर्जीबाड़े को जड़ से खत्म किया जाएगा।

जयपुर में नकली नोट खपाने वाले दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के नकली नोट, नकली पट्टे और फर्जी सील भी बरामद की

जयपुर। विधाधर नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम उत्तर (डीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए राजधानी में नकली नोट खपाने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के नकली नोट, नकली पट्टे और फर्जी सील भी बरामद हुई है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे पता लगा रही है।



विधाधर नगर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले दो आरोपी पकड़े।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि विधाधर नगर थाना पुलिस और डीएसटी उत्तर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट के साथ विशाल रावत और हरिकृष्ण बाहेती उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार किया है। उनके पास नकली नोट के साथ ही अलग-अलग सोसायटी और जेडीए के नकली पट्टे, फर्जी सील भी मिली है। उनके कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के 100-200 रुपए के नकली नोट मिले हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली नोट बाजार में खपाने के

लिए एक गिरोह के रूप में काम करते थे। इस गिरोह का सरगना नकली नोट बाजार में चलाने के बदले अपने गुणों को 25 फीसदी कमीशन देता था। बाकि रकम खुद रखता था। यह गिरोह नकली नोट बाजार में खपाने के साथ ही फर्जी पट्टे बनाने और सील बनाने का काम भी करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी फर्जी सील बनाने में माहिर हैं। आरोपित ये नकली नोट कहाँ से लाते और अब तक कितने नोट किसके

माध्यम से बाजार में खपाए गए हैं। इसके साथ ही नकली पट्टे और सील का कहाँ-कहाँ उपयोग किया गया है। इसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि नकली नोट बनाने और इन्हें बाजार में खपाने में कुछ और लोग भी इनकी मदद करते थे। उनकी भी आगे गिरफ्तारी होगी।

विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में टिप्पणी की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पडने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि लिव इन संबंध न तो अवैध है और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध माना गया है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करें। अदालत ने कहा कि मानव जीवन का

अधिकार व्यक्ति के बालिग या नाबालिग होने से ऊपर है। याचिकाकर्ताओं की विवाह योग्य उम्र नहीं होने के कारण उन्हें उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि समाज या परिवार की आपत्ति किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। याचिका में अधिवक्ता सत्यम खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 18 वर्षीय याचिकाकर्ता युवती और 19 वर्षीय याचिकाकर्ता युवक आपस में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अभी युवक की विवाह योग्य उम्र नहीं हुई है। ऐसे में विवाह योग्य उम्र होने तक वे एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गत 27 अक्टूबर को लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी

बनाया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता युवती के परिजन इसके खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर वे नोडल अधिकारी कुनाडी धानाधिकारी, कोटा के समक्ष गत 13 और 17 नवंबर को जाकर अभ्यावेदन पेश कर सुरक्षा मांगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी ने कहा कि कानून में लडका-लडकी की विवाह योग्य उम्र 21 और 18 साल है। मामले में याचिकाकर्ता युवक 19 साल का ही है। ऐसे में न तो वे अभी विवाह कर सकते हैं और ना ही लिव इन में रह सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसएसएएटी की बैठक

जयपुर। वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का हुआ अनुमोदनजयपुर । मुख्य सचिव वी. के श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (एसएसएएटी) की शासी निकाय की चतुर्थ बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान सोसायटी की ओर से महात्मा गांधी नगरा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग, मिड-डे-मील तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजना के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनायें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन व

सहायता योजना का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने सोसायटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज के बारे में प्रभावी कार्यवाही करने, सामाजिक अंकेक्षण दल का मुख्यालय से समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा, प्रमुख महालेखाकार राजस्थान, शासन सचिव विजय बडत, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त मनरेगा, निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपस्थित रहे।

भर्ती परीक्षा पर रोक के खिलाफ अपील पेश, सुनवाई आज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की सात दिसंबर से होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के खिलाफ आरपीएससी की ओर से खंडपीठ की अपील पेश की गई है। खंडपीठ अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अपील में अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि आयोग की ओर से परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। यह परीक्षा संभांग स्तर पर आयोजित की जानी है और इसमें करीब 92 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। अपील में कहा गया कि साल 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और सिलेबस जारी कर उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वहीं बाद में इस भर्ती को रद्द कर नियमों में बदलाव कर साल 2025 में भर्ती निकाली गई थी।

